फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान रूजदार (बनाम) तहसीलदार तिजारा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर पर लेने मुकदमा नम्बर 15 / 138 / 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.01.20 | आज यह प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुआ। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर पर लेने मुकदमा का पेश किया गया।<br>प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थी के प्रतिनिधि वकील उपस्थित हुआ। प्रतिनिधि वकील ने बहस को समय चाहा गया। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र बाबत नम्बर लेने अपील वास्ते बहस दिनांक 10.9.2018 से नियत है। प्रकरण में प्रार्थी वकील को बहस के काफी समय दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा बहस नहीं की गई, एवं बार–बार प्रार्थी वकील द्वारा बहस को समय चाहा जा रहा है। आज भी प्रार्थी वकील के उपस्थित नहीं आऐं और उनके प्रतिनिधि वकील उपस्थित होकर बहस का समय चाहा गया। अपील दिनांक 25.7.2017 वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थी वकील द्वारा अपील पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2017 को प्रस्तुत किया जो करीब 3 माह में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9.2018 से करीब 16 माह से निरन्तर बहस में विचाराधीन है। नम्बर पर लेने मुकदमा अदम हाजरी में खारिज होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर–अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र करीब 3 माह के बाद पेश किया गया है। प्रार्थी वकील के अनुपस्थित रहनें एवं बहस को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लेने मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है।<br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल लेख भण्डार हों।<br>निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>(इन्द्रजीत सिंह)<br>जिला कलक्टर अलवर<br>जिला कलक्टर अलवर (राज०) | |